

## हट्टी समुदाय

हाल ही में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के सरिमौर ज़िले के तान-गरी क़्षेत्र के हट्टी समुदाय को आदवासी का दर्जा देने पर वचिार कर रही है ।

### हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनषिठ समुदाय है, जसिे कसूबों में 'हाट' नामक छुठे बाज़ारों में घरेलू सडूजयिीं, फसल, मांस और ऊन आदबिेचने की परंपरा से यह नाम मलिा है ।
- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारुहों के दौरान एक वशिषिठ सफेद टुपी पहनते हैं ।
- यह समुदाय सरिमौर से गरिा और टोंस नामक दु नदयिीं दूवारा वभिाजति हु जाता है ।
  - टोंस इसे उततराखंड के जौनसार बावर क़्षेत्र से वभिाजति करती है
  - वर्ष 1815 में जौनसार बावर क़्षेत्र के अलग हुने तक उततराखंड के ट्रांस-गरिा क़्षेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सरिमौर की शाही रयिासत का हसिा थे ।
- ट्रांस-गरिा और जौनसार बावर में समान परंपराएँ हैं तथा अंतरजातीय-वविाह आम बात है ।
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठुर जात वूवस्था है- **भट और खश उचूच जातयिीं हैं, जबकबिधुई उनसे नीची जात है । अंतरजातीय वविाह अब परंपरागत रूप से सखूत नहीं रहे हैं ।**
  - हट्टी समुदाय '**खुंबली**' नामक एक पारंपरिक परषिद दूवारा शासति है, जो **हरयिाणा के खाप पंचायत** की तरह सामुदायक मामलों को देखती है ।
  - **पंचायती राज वूवस्था** की स्थापना के बावजूद खुंबली की शकूत को कुई चुनौती नहीं मलिी है
- **सरिमौर और शमलिा क़्षेत्रों की लगभग नू वधिानसभा सीटों पर उनकी अचूछी उपसूथति है ।**
  - भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की कुल आदवासी आबादी 3,92,126 है, जो राज्य की कुल आबादी का 5.7% है ।

### उनकी मांगें:

- **जनजातीय दर्जा:**
  - वे वर्ष 1967 से **अनुसूचति जनजात का दर्जा** देने की मांग कर रहे हैं, जब उततराखंड के जौनसार बावर में रहने वाले लोगों को आदवासी का दर्जा दयिा गया था, जसिकी सीमा सरिमौर ज़िले से लगती है ।
- **चुनौतयिीं:**
  - **सूथलाकूतक नुकसान** के कारण हिमाचल प्रदेश के कामरु, संगरा और शलियिाई क़्षेत्रों में रहने वाले हट्टी शकूषा तथा रुज़गार दुनों में पछिड गए हैं ।

### भारत में अनुसूचति जनजातयिीं की सूथति:

- **परचिय:**
  - 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचति जनजातयिीं को "बहषिकूत" और "आंशक रूप से बहषिकूत" क़्षेत्रों में रहने वाली "पछिडी जनजात" कहा जाता है । **वर्ष 1935 के भारत सरकार अधनियम ने पहली बार प्रांतीय वधिानसभाओं में "पछिडी जनजातयिीं" के प्रतनिधियिीं को बुलाया ।**
  - संवधिान अनुसूचति जनजातयिीं की मानयता के मानदंडों को परभिाषति नहीं करता है, इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में नहिाति परभिाषा का उपयोग सूवततरता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में कयिा गया था ।
  - हालाँक संवधिान का अनुचूछेद 366 (25) केवल अनुसूचति जनजातयिीं को परभिाषति करने के लयिे प्रकूरयिा प्रदान करता है: "अनुसूचति जनजातयिीं का अरूथ ऐसी जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों या जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों के कूछ हसिूसों या समूहों से है जनिहें संवधिान के अनुचूछेद 342 के तहत अनुसूचति जनजात माना जाता है ।
    - **342(1): राष्ट्रपत कसिी भी राज्य या केंद्रशासति प्रदेश के संबंध में**, जबक राजूय के संदरूभ में राज्यपाल के परामरूश के बाद सारूवजनक अधसूिचना दूवारा उस राज्य या संघ राज्य क़्षेत्र के संबंध में जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों के हसिूसे या जनजातयिीं या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को अनुसूचति जनजात के रूप में नरिदषिठ कर सकता है ।
  - **705 से अधक जनजातयिीं** हैं जनिहें अधसूिचति कयिा गया है । **सबसे अधक संखूया में आदवासी समुदाय ओडशिा** में पाए जाते हैं ।

- संवधान की पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- कानूनी प्रावधान:
  - असपुशयता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
  - पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसति) अधिनियम, 1996
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- संबंधित पहल:
  - भारतीय जनजातीय सहकारी वणिणन विकास परसिंघ (TRIFED)
  - जनजातीय स्कूलों का डिजिटल परिवर्तन
  - विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह
  - प्रधानमंत्री वन धन योजना
- संबंधित समितियाँ:
  - शाशा समिति (2013)
  - भूरिया आयोग (2002-2004)
  - लोकुर समिति (1965)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न स्टैंडअप इंडिया योजना के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
2. यह सडिबी के माध्यम से पुनर्वर्तित प्रदान करता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

व्याख्या:

- इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
- महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकतव्यापार, वननिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने को तैयार एवं प्रशिक्षण दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके।
- प्रमुख विशेषताएँ:
  - नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना के लिये 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान करना।
  - कार्यशील पूंजी के आहरण के लिये डेबिट कार्ड (रुपे)।
  - उधारकर्ता का साख पृष्ठभूमि तैयार करना।
  - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशिके साथ पुनर्वर्तित वणिजन। अतः कथन 2 सही है।
  - नेशनल क्रेडिट गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी के लिये 5,000 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण।
  - पूर्व-ऋण प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण की सुवधि, मध्यस्थ, मार्केटिंग आदि के लिये व्यापक समर्थन के साथ उधारकर्ताओं हेतु समर्थन जुटाना।
  - ऑनलाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिये वेब पोर्टल। अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

